36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस

खान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय

वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

GEOSCIENCES
THE BASIC SCIENCE
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस

(खान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय)
भारत सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
पृष्ठभूमि	1
वर्ष 2012 में पड़ोसी देशों के सहयोग से भारत द्वारा बोली लगाना	1
36वीं आईजीसी सोसाइटी का सृजन	2
36वीं आईजीसी सोसाइटी की संरचना	3
अध्यक्ष और महासचिव	4
अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस का महत्व	4
तैयारियों की प्रगति	5
आउटरीच कार्यक्रम	6
बजट	9
अनुबंध-I कार्यालय पदाधिकारियों की सूची	12
अनुबंध-II लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	15

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस

(खान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय)
भारत सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

1.0 पृष्ठभूमि

वर्ष 2012 में ब्रिसवेन में हुई 34वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस में भारत ने अपने क्षेत्रीय सहयोगी देशों नामत: बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का नेतृत्व करते हुए वर्ष 2020 में होने वाली 36वीं आईजीसी का आयोजन भारत में करने के लिए बोली लगाई थी। भारत ने यह बोली जीती थी।

भूविज्ञान के ओलंपिक के रूप में विख्यात यह आईजीसी चार वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस संघ (आईयूजीएस), आईजीसी के वैज्ञानिक प्रायोजकों के तत्वावधान में आयोजित होती है। यह विश्व का सर्वाधिक दीर्घकालीन और सुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आयोजन है। पहले आईजीसी का आयोजन 1878 में पेरिस में हुआ था।

2-8 मार्च, 2020 के दौरान इंडिया एक्पो मार्ट लि., ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली 36वीं आईजीसी का मूल विषय : **''भूविज्ञान : एक सतत भविष्य के लिए आधारभूत विज्ञान''** होगा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के वैज्ञानिक अकादमियों के वैज्ञानिक सहयोग के साथ, इसके लिए निधि की व्यवस्था खान मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 50:50 आधार पर की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस आयोजन के लिए नोडल संगठन है।

2.0 वर्ष 2012 में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के सहयोग से बोली लगाना

मंत्रीमंडल के निर्णय (26.4.2012) की अनुपालना में भारत ने बोली लगाने में भाग लिया।
मंत्रीमंडल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अनुमोदन किया:

(i) बोली लगाई जाए और यदि सफल रही तो, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस आयोजित की जाए।

(ii) इस बोली प्रस्ताव को एक क्षेत्रीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पड़ोसी देशों नामत: बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमियों को समाविष्ट

किया जाए। इससे इन देशों में हमारे समकक्ष वैज्ञानिक मुद्दों में संलग्न होंगे और परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे। इससे अतिरिक्त सहयोग एकत्रित करने में मदद मिलेगी।

3.0 2016 में 36वीं आईजीसी सोसाइटी का सृजन

मंत्रीमंडल की 2 मार्च, 2016 को हुई बैठक में किए गए अनुमोदन के अनुसार सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के तहत 27 अप्रैल, 2016 को 36वीं आईजीसी सोसाइटी का सृजन ''36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कांग्रेस'' के नाम से हुआ। अन्य के साथ साथ, इस सोसाइटी को ''36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कांग्रेस (आईजीसी)'' की विधिक, वित्तीय, योजना और सांगठनिक मुद्दों का पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करने और 36वीं आईजीसी के बाद वर्ष 2020 के आगे भी इस क्षेत्र में ''भूविज्ञान के संवर्द्धन और उन्नति के लिए कार्य करने'' हेतु गठित किया गया ।
मंत्रीमंडल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया:

i. भारत में 36वीं आईजीसी का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए सभी विधिक व वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु संस्था के गठित बहिर्नियमों के अनुसार भारतीय सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के तहत ''36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कांग्रेस'' के नाम से एक सोसाइटी का पंजीकरण कराना।
ii. सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित वार्षिक आवश्यकतानुसार 36वीं आईजीसी के लिए आरंभिक क्रियाकलापों को संपादित करने हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 50:50 आधार पर सोसाइटी के खाते में निधि अंतरित करने की अनुमति देना।

आईयूजीएस, जिसके तत्वावधान में आईजीसी आयोजित की जाती है, के 121 देश सदस्य हैं जो उनकी विज्ञान अकादमियों और भूवैज्ञानिक संगठनों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं।

ब्रिसबेन में हुई 34वीं आईजीसी में लगभग 6000 प्रतिनिधि आए थे जबकि केपटाउन में हुई 35वीं आईजीसी में लगभग 4000 प्रतिनिधि आए थे। 2004 में फ्लोरेंश, इटली में हुई 32वीं आईजीसी में सर्वाधिक 7000 से अधिक उपस्थिति रही। 36वीं आईजीसी में विश्वभर से लगभग 6000 भूवैज्ञानिकों के भाग लेने की योजना है।

इसमें लगभग 3000 मौखिक प्रस्तुतियाँ होंगी और लगभग 270 तकनीकी सिंपोजियाओं में 1200-1500 पोस्टर प्रदर्शित किए जाएंगे। इस कांग्रेस के आयोजन से पूर्व और बाद में होने वाले कार्यकलापों के रूप में भारतीय उप महाद्वीप में भूवैज्ञानिक श्रेष्ठता और विरासत के अवलोकन हेतु लगनभग 60 फील्ड भ्रमणों की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, इस आयोजन के दौरान लगभग 100 व्यावसायिक बैठकें और 20 कार्यशालाएँ/लघु पाठ्यक्रम भी आयोजित होंगे।

भूविज्ञान के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 300 अग्रणी फर्मों/एजेंसियों के लिए जिओएक्सपो नाम से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो इन सात दिवसीय सम्मेलन के दौरान अपने उत्पादो, क्षमताओं और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी।

4.0 36वीं आईजीसी सोसाइटी की संरचना

यह सोसाइटी संस्था के बहिर्नियमों में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत सर्वोच्च प्राधिकरण है।

4.1 सक्षम प्राधिकरण

सक्षम प्राधिकरण, जिसमें सचिव, खान मंत्रालय अध्यक्ष और सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं अध्यक्ष, आईएनएसए, सहअध्यक्ष के रूप में हैं, 36वीं आईजीसी की स्थानीय आयोजन समिति के नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकरण है और यह आईजीसी की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गठित की गई है।

4.2 शासकीय निकाय

कार्यो का प्रबंधन और सोसाइटी की निधियों के लिए शासकीय निकाय अधिकृत है जो ऐसे सभी कार्यों और चीजों को करने की हकदार है जिन्हें सोसाइटी प्रयुक्त करने और सम्पन्न करने के लिए अधिकृत है।

यह शासकीय निकाय सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता और सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की सह-अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय निकाय है।

4.3 कार्यकारी समिति

शासकीय निकाय द्वारा गठित कार्यकारी समिति इस सोसाइटी के दिन प्रति दिन के कार्यों का प्रबंधन करती है । शासकीय निकाय द्वारा कार्यकारी समिति को सभी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। कार्यकारी समिति की अध्यक्षता 36वीं आईजीसी के अध्यक्ष द्वारा की जाती है ।

4.4 स्थानीय आयोजन समिति

36वीं आईजीसी के आयोजन संबंधी पहलुओं की देख रेख स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) द्वारा की जाती है जिसकी अध्यक्षता 36वीं आईजीसी के अध्यक्ष करते हैं । इसके सदस्यों में 36वीं आईजीसी के महासचिव और उपसमितियों के अध्यक्षगण और सह अध्यक्षगण होंगे।

एलओसी के गठन से पूर्व, खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारतीय राष्ट्री विज्ञान अकादमी के प्रतिनिधियों की पूर्व तैयारी समिति पहले की जाने वाली तैयारियों को करवा रही थी। इस पूर्व तैयारी समिति का पुनर्गठन सोसाइटी के सृजन पर एलओसी के अंतर्गत हुआ था।

4.5 उप समितियाँ

स्थानीय आयोजन समिति की सहायता मौलिक विषयगत उपसमितियों द्वारा की जाएगी। इनमें शासकीय समिति द्वारा 13 उपसमितियों का अनुमोदन किया गया है।

5.0 अध्यक्ष और महासचिव

इस आयोजन के संगठन का संचालन 36वीं आईजीसी के अध्यक्ष और महासचिव द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष, कार्यकारी समिति और स्थानीय आयोजन समिति की अध्यक्षता करेंगे। वे शासकीय निकाय के एक सदस्य भी हैं। महासचिव शासकीय निकाय के संयोजक, कार्यकारी समिति और स्थानीय आयोजन समिति के सदस्य हैं ।

सक्षम प्राधिकारी ने 8.12.2015 को हुई चतुर्थ बैठक में डॉ. शैलेश नायक, पूर्व सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को 36वीं आईजीसी का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। डॉ. नायक ने 31.12.2015 को 36वीं आईजीसी के अध्यक्ष का पदभार संभाला।

सक्षम प्राधिकारी ने 12.5.2016 को हुई पांचवीं बैठक में पूर्णकालिक महासचिव की नियुक्ति तक डॉ. निरंजन के. सिंह, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय को महासचिव का पदभार सौंपा।

36वीं आईजीसी और विभिन्न समितियों के कार्यालय पदधारियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है ।

6.0 अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का महत्व

36वीं आईजीसी का प्रभाव गहन और वैश्विक महत्व का है। इस समय आयोजन के **''मौलिक विषय- भूविज्ञान: सतत विकास के लिए आधारभूत विज्ञान''** से बेहतर विषय नहीं हो सकता था। ऐसे समय में, जहाँ विश्व स्थायित्वता, ऊर्जा संकट, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, पर्यारवणीय मुद्दे, संसाधन प्रबंधन जैसी भारी समस्याओं से जकड़ा हुआ है, तब यह आयोजन विश्व के भूवैज्ञानिकों द्वारा गहन संवाद करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रस्तुत करेगा। इसके लिए बनी कार्य योजना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।

उपर्युक्त के साथ-साथ 36वीं आईजीसी से ये अपेक्षाएं भी हैं:-

- विशेष रूप से भावी पीढियों के सतत विकास के दृष्टिकोण से भूविज्ञान के क्षेत्र में जानकारी और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- व्यवसायिक नेटर्किंग के लिए विशिष्ट मंच उपलब्ध कराना।
- भूविज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर उपलब्ध कराना और सहयोगी कार्यक्रमों को आरंभ करना।
- खनन, खनिज गवेषण और जल प्रबंधन, खनिज संसाधन एवं पर्यावरण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर प्राथमिक सूचनाएँ उपलब्ध कराना।
- खनन, खनिज गवेषण और पर्यावरण प्रबंधन तथा अन्य उपक्रमों में निवेश के अवसर उपलब्ध कराना।
- शैक्षणिक आदान-प्रदान में वृद्धि के अवसर प्रदान करना ।
- राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर क्षेत्रीय भूविज्ञान की जागरूकता को सुलभ करना।
- चिकित्सा और फोरेंसिक भूविज्ञानों को उन्नत करने सहित भूविज्ञान के प्रति बढ़ी हुई जनजागरूकता को सुलभ करना।
- पर्यटन राजस्व बढ़ाने के लिए अवसरों का सृजन करना और भूपर्यटन के नए आयाम खोलना।
- भूवैज्ञानिक क्षेत्रों से बाहर भी क्षमता निर्माण के लिए अवसरों का सृजन करना।
- 2020-2030 तक के लिए भूविज्ञान कार्यसूची निर्माण में सहायता करना।
- नीति निर्धारकों द्वारा भूविज्ञान संबंधी विश्व स्तरीय सूचनाएं उपलब्ध कराना।
- पर्यावरणीय परिवर्तनों के मुद्दों पर विचार करना और ध्यान देना।

7.0 तैयारियों की प्रगति

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कांग्रेस (36आईजीसी) जिसका पूर्व वर्णित अनुसार वैधारिक स्वरूप है, का पंजीयन अप्रैल 27, 2016 को मंत्रीमंडल अनुमोदन के अनुसार सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के तहत हुआ। यह एक गैर- लाभकारी सोसाइटी है।

आईजीसी की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **सक्षम प्राधिकारी (एए)** को सचिव, खान मंत्रालय (एमओएम) के साथ अध्यक्ष के रूप में और सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) एवं अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) को सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मार्च, 2017 तक सात सक्षम प्राधिकारी बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।

दिनांक 27/04/2016 को इस सोसाइटी के गठन के बाद **शासकीय निकाय (जीबी)** प्रभाव में आया। सचिव, खान मंत्रालय अध्यक्ष और सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं अध्यक्ष, आईएनएसए की सह-अध्यक्षता में जीबी एक नौ सदस्यीय निकाय है। मार्च 2017 तक शासकीय निकाय की तीन बैठकें हो चुकी हैं।

इस सोसाइटी के कार्यो को मूर्त रूप देने के लिए एक सात सदस्यीय **कार्यकारी समिति (ईसी)** का गठन किया गया जो इसके दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों और तैयारियों पर निगरानी रखेगी। 36वीं आईजीसी के अध्यक्ष इस कार्यकारी समिति के भी अध्यक्ष हैं। मार्च 2017 तक इसकी चार बैठकें हो चुकी हैं।

36वीं आईजीसी को कार्यान्वित करने के लिए योजना बनाने और विभिन्न तैयारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु एमओएम, एमआईएस और आईएनएसए के प्रतिनिधियों की एक छह सदस्यीय **तैयारी समिति (पी.सी)** का गठन किया गया। अप्रैल, 2016 में सोसाइटी के गठन तक, तैयारी समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में एए के मार्ग निर्देशन में कार्य कर रही थी और अब तक इसकी पाँच बैठकें हो चुकी हैं। 36वीं आईजीसी के आरंभ होने पर तैयारी समिति का पुनर्गठन **स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी)** के रूप में हुआ। एलओसी के अपने अध्यक्ष हैं। एलओसी का संगठन **अनुबंध-I** में दिया गया है। 36वीं आईजीसी के एलओसी ने सितंबर, 2016 में दक्षिण अफ्रीका में हुई 35वीं आईजीसी में औपचारिक रूप से प्रभार संभाला। मार्च, 2017 तक स्थानीय आयोजन समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं।
पूर्व तैयारियों में एलओसी को सहयोग करने के लिए **13 विषयक उपसमितियों** का अनुमोदन किया गया है:

i. विज्ञान कार्यक्रम ii. फील्ड भ्रमण iii. विरासत iv. वित्त v. प्रायोजनकर्ता iv. भू-आयोजन vii. स्वैच्छिक कार्यक्रम viii. वाईईएस (YES) नेटवर्क प्रतिनिधित्व ix. विज्ञान परामर्शदात्री x. पेशेवर सम्मेलन आयोजन xi. अंतर संस्थानिक संपर्क xii. मंत्रालयिक संपर्क xiii. सचिवालय।

कांग्रेस की पूर्व तैयारियों में समन्वय करने के लिए **सचिवालय** में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (एमओएम) से दो और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से एक भूविज्ञानी प्रतिनिधि स्वरूप हैं।

8.0 आउटरीच कार्यक्रम

पूर्व तैयारी संबंधी कार्यकलापों के एक भाग और 36वीं आईजीसी की शुरूआत के रूप में 29-30 मार्च, 2016 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्राल में ''विजन फॉर फ्यूजन'' शीर्षक पर पड़ोसी देशों की सह-मेजमानी में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस

कार्यशाला में बंगलादेश, नेपाल एवं श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों/भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के प्रतिनिधियों तथा भारत के भूवैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

देश के भूवैज्ञानिक समुदाय को इस कांग्रेस के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ''36वीं आईजीसी में चार विचार-मंथन (ब्रैन स्टोर्मिंग) सत्रों का आयोजन किया गया। "भूविज्ञान के विकास के लिए एक अद्वितीय अवसर'' विषय पर मार्च 2017 तक हैदराबाद, लखनऊ, शिलौंग और मैंगलोर में यह ब्रैन स्टोर्मिंग सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में विज्ञान और फील्ड भ्रमण कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स की सिफारिशें मिली ।

अगस्त-सितंबर, 2016 के दौरान केप टाऊन में 35वीं आईजीसी में दक्षिण अफ्रीका से औपचारिक दायित्व प्राप्त करने के लिए 36वीं आईजीसी के प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया था। सोसाइटी ने इस आयोजन में 150 भूवैज्ञानिकों की सहभागिता का समन्वय किया था जिनमें से 108 सहभागियों को सोसाइटी से वित्तीय सहयोग दिया गया। इस आयोजन में, 36वीं आईजीसी की स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) ने औपचारिक प्रभार संभाला। इस आयोजन में अध्यक्ष, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कांग्रेस सोसाइटी और अध्यक्ष, भूवैज्ञानिक विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के बीच 36वीं आईजीसी के दायित्वों के आलेख पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ। 36वीं आईजीसी ने आयोजन स्थल पर संवर्द्धन बूथ भी स्थापित किया था जिसे बहुत प्रशंसा मिली। इस आयोजन में विशेषरूप से 'भारतीय उपमहाद्वीप के भूपर्यटन हॉटस्पॉट' विषय पर लेख तैयार किया गया। इसमें भारत, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के भूवैज्ञानिक उत्कृष्टताओं को समाविष्ट किया गया था। इस पुस्तक की भारी मांग रही।

'विजन फॉर फ्यूजन' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारी

दक्षिण अफ्रीका, केप टाऊन में आयोजित 35वीं आईजीसी में प्रोमोशनल बूथ

दक्षिण अफ्रीका, केप टाऊन में 36वीं आईजीसी और आईयूजीएस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए

35वीं आईजीसी में 36वीं आईजीसी का प्रोमोशन

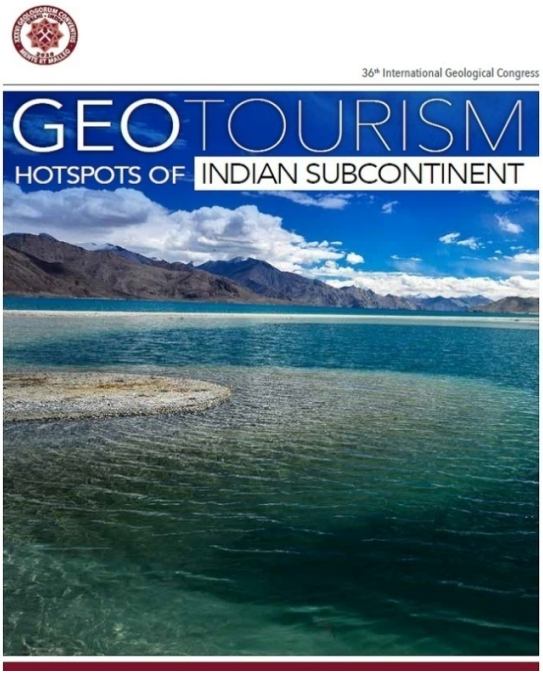

35वीं आईजीसी में वितरित प्रकाशन

8-10 दिसंबर, 2016 के दौरान धनबाद में सतत विकास के लिए भूविज्ञानों पर फीगा (एफआईजीए) की प्रथम त्रिवर्षीय कांग्रेस में भारत में 36वीं आईजीसी को प्रोमोट किया गया और 7-9 दिसंबर, 2016 के दौरान देहरादून में सुदूर संवेदन में आधुनिक प्रगति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पर्वत पारिस्थितिकी पर विशेष प्रभाव डालते हुए जीआईएस' का आयोजन किया गया। इन दोनों आयोजनों में प्रोमोशनल बूथ लगाए गए थे।

9.0 बजट

36वीं आईजीसी के संस्था की बहिर्नियमावली (एम ओ ए) के अनुसार 36वीं आईजीसी को खान मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 50:50 के अनुपात में वार्षिक आधार पर बजटीय सहयोग दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जीएसआई/खानमंत्रालय द्वारा रू.5.17 करोड़ दिए गए जिनमें से 3.208 करोड़ 36वीं आईजीसी की विभिन्न गतिविधियों पर खर्च किए गए। खर्च का श्रेणीवार विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	व्यय शीर्ष	व्यय की गई राशि (रू करोड़ में)
1.	केपटाउन में 35वीं आईजीसी में भाग लेने पर भूवैज्ञानिकों को प्रदत्त वित्तीय सहयोग।	1.9731
2.	आउटरिच कार्यक्रम	0.0075
3.	मुद्रण एवं डिजाइनिंग	0.0034
4.	केपटाउन में 35वीं आईजीसी में प्रोमोशनल व्यय	0.9585

5.	सचिवालयीन प्रशासन एवं अवसंरचना	0.0255
6.	स्थल बुकिंग	0.2400
	कुल	**3.208**

31मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 36वीं आईजीसी का वित्तीय विवरण (आय और व्यय लेखा, प्राप्ति और भुगतान लेखा एवं तुलन पत्र) इस प्रकार है। इस अवधि के लिए अंकेक्षण रिपोर्ट **अनुबंध-II** में दी गई है।

वित्त वर्ष 2016-17
31 मार्च, 2017 को तुलनपत्र

विवरण	**को स्थिति**
	31 मार्च 2017 (रू)
पूंजीगत कोष एवं देयताएँ	
सोसाइटी कोष	2,03,50,157
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	32,299
	2,03,82,456
संपत्तियाँ	
स्थायी संपत्तियाँ (मोबाईल)	14,790
गैर चालू निवेश	-
	14,790
वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	
रोकड़ और बैंक शेष	2,02,05,954
ऋण और अग्रिम	1,61,712
चालू निवेश	-
	2,03,82,456

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
आय एवं व्यय

विवरण	31मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रू)
आय	
स्थायी जमाओं पर ब्याज	7,18,593
	7,18,593
व्यय	
बैंक प्रभार	857
भारत से वित्तीय सहायता-35वीं आईजीसी	1,97,31,692
आउटरीच कार्यक्रम	75,006
मुद्रण एवं डिजाइनिंग	34,227
35वीं आईजीसी के दौरान प्रचार-प्रसार पर खर्च	95,85,852
सचिवालयीन प्रशासन एवं अवसंरचना	2,40,802
स्थान बुकिंग व्यय	24,00,000
	3,20,68,436
खर्च से अधिक आय आरिक्षित एवं अधिशेष खाते में स्थानांतरित किया गया	**(3,13,49,843)**

अनुबंध-I

कार्यालय पदाधिकारियों की सूची

सक्षम प्राधिकारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री बलविंदर कुमार	सचिव, खान मंत्रालय एवं अध्यक्ष
2.	डॉ. एम. राजीवन	सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं सह-अध्यक्ष
3.	प्रो.अजय कुमार सूद	अध्यक्ष, आईएनएसए एवं सह-अध्यक्ष

शासकीय निकाय

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री बलविंदर कुमार	सचिव, खान मंत्रालय एवं अध्यक्ष
2.	डॉ. एम. राजीवन	सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं सह-अध्यक्ष
3.	प्रो.अजय कुमार सूद	अध्यक्ष, आईएनएसए एवं सह-अध्यक्ष
4.	डॉ. शैलेश नायक	अध्यक्ष, 36वीं आईजीसी
5.	श्री एम. राजू	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं सह-अध्यक्ष, 36वीं आईजीसी (पदेन)
6.	डॉ. एन.के.सिंह	संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय एवं महासचिव, 36वीं आईजीसी
7.	डॉ. वी.के गहलोत	वैज्ञानिक 'जी', पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
8.	प्रो.एस.के.टंडन	पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय

कार्यकारी समिति

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डॉ. शैलेश नायक	अध्यक्ष, 36वीं आईजीसी एवं अध्यक्ष
2	श्री एम.राजू	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं सह-अध्यक्ष, 36वीं आईजीसी (पदेन)
3	डॉ. एन.के.सिंह	संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय एवं महासचिव, 36वीं आईजीसी
4	डॉ. ए.के. सिंघवी	अध्यक्ष, विज्ञान कार्यक्रम समिति
5	डॉ. बी.के.बंसल	वैज्ञानिक 'जी', पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
6	श्री कोशी जॉन	उपमहानिदेशक, जीएसआई एवं अध्यक्ष, वित्त समिति(पदेन)
7	प्रो. डी.एम. बनर्जी	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए)

स्थानीय आयोजन समिति

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डॉ. शैलेश नायक	अध्यक्ष, 36वीं आईजीसी एवं अध्यक्ष
2	श्री एम.राजू	सह-अध्यक्ष एवं महानिदेशक, जीएसआई
3	डॉ. निरंजन के सिंह	महासचिव
4	डॉ. ए.के. सिंघवी	अध्यक्ष, विज्ञान कार्यक्रम उपसमिति
5	डॉ. पी.आर. गोलानी	सह-अध्यक्ष, विज्ञान कार्यक्रम उपसमिति
6	डॉ. सोमनाथ दास गुप्ता	सह-अध्यक्ष, फील्ड भ्रमण उपसमिति
7	डॉ. एन.आर रमेश	सह-अध्यक्ष, फील्ड भ्रमण उपसमिति
8	डॉ.फरीदुद्दीन	अध्यक्ष, विरासत उपसमिति
9	श्री कोशी जॉन	अध्यक्ष, वित्त उपसमिति
10	डॉ. स्निग्धा घटक	सदस्य, सचिवालय
11	देवाशीष राउत	सदस्य, सचिवालय

फील्ड भ्रमण समिति

1. प्रो. सोमनाथ दास गुप्ता, एफएनए, जामिया मिलीया, सह अध्यक्ष
2. डॉ. एन.आर रमेश, सेवानिवृत्त एडीजी, जीएसआई, सह अध्यक्ष
3. प्रो. ए.के. जैन, एफएनए, आईआईटी, रूड़की
4. प्रो. यू.के. शुक्ला, बीएचयू, वाराणसी
5. डॉ. एम.एस बोदास, निदेशक ,जीएसआई, राज्य इकाई: महाराष्ट्र, मध्य क्षेत्र, पुणे
6. डॉ. एस.रवि, निदेशक जीएसआई, दक्षिणी क्षेत्र हैदराबाद
7. प्रो. कुशल राजेन्द्रन, आईआईएससी, बैंगलोर
8. डॉ. ई.वी.एस.के बाबू, वरिष्ठ प्राचार्य वैज्ञानिक, एनजीआरआई हैदराबाद
9. डॉ. स्निग्धा घटक, 36वीं आईजीसी सचिवालय - संयोजक
10. अध्यक्ष, विज्ञान कार्यक्रम समिति-इस समिति के पदेन सदस्य

अनुबंध-II

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमें 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। हमने संलग्न वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण किया, जिसमें 31 मार्च, 2017 तक की बैलेंस शीट एवं वर्ष 2017 की समाप्ति तक के आय व व्यय तथा प्राप्ति व भुगतान खाते का विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों व लेखा नोट्स का सार शामिल है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

2. यह प्रबन्धन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप संगठन की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रदान करता है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव सम्मिलित है जो कि सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है और यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न वस्तुगत अशुद्ध विवरण से मुक्त होता है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक विचार अभिव्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत लेखांकन मानकों के अनुरूप संचालित किया है। उन मानकों की मांग है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखा परीक्षण की योजना इस प्रकार बनाएं व निष्पादित करें कि हम इस बात से आश्वस्त हो सकें कि वित्तीय विवरण वस्तुगत अशुद्ध विवरण से मुक्त है।

4. लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं उनके उल्लेख से संबंधित लेखा साक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रक्रियात्मक निष्पादन शामिल होता है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण के वस्तुगत अशुद्ध विवरण, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, के जोखिम का आकलन शामिल होता है। इन जोखिमों का आकलन करने में, लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप लेखा प्रक्रिया को डिजाइन करने के लिए सोसाइटी के वित्तीय विवरणों को बनाने व उसकी निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। लेखा परीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता व प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी समाहित रहता है।

5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार व्यक्त करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

6. **विचार**

   1. हमारे विचार में एवं हमारे पास उपलब्ध सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय विवरण नोट 11 'महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों के लिए नोट्स' के तहत उल्लिखित लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो भारत में गैर-लाभकारी संस्थाओं हेतु सामान्यतः स्वीकार्य है।

(क) बैंलेंसशीट के मामले में, 31 मार्च 2017 तक शाखा कार्यालय के मामलों की स्थिति:

(ख) आय और व्यय के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से आय की अधिकता;

निम्नलिखित के अधीन

i. मूल्यह्रास नीति के गैर-अंतिमकरण के संबंध में नोट 8.2 (डी) का संदर्भ लें। यदि सोसाइटी आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान करता है तो व्यय में रू. 1109 की वृद्धि होगी और वही राशि सोसाइटी की निधि से कम हो जाएगी।

ii. टी.डी.एस. प्रावधानों का पालन न करने के कारण रू. 13120 की ब्याज देयता हो सकती है।

iii. एफ.डी.आर., वसूली योग्य अग्रिम और विविध लेनदारों की शेष राशि की पुष्टि की जानी है।

कृते ऐ.के.जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफ.आर.एन. सं. 002688एन

स्थान- दिल्ली
दिनांक –09.02.2018

सी.ए. संजय शर्मा
सहभागी
एम.सं. 088683

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस (आई.जी.सी.)
पता: सी-।।, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062
दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार बैलेंस शीट

विवरण	अनुलग्नक	31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार (रू)
पूँजीगत निधि एवं देयताएं		
सोसाइटी निधि	1	2,03,50,157
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	2	32,299
		2,03,82,456
परिसंपत्तियाँ		
स्थिर परिसंपत्तियाँ (मोबाईल)		14,790
गैर वर्तमान निवेश		**-**
		14,790
वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम		
नकद एवं बैंक जमा	3	2,02,05,954
ऋण और अग्रिम	4	1,61,712
वर्तमान निवेश		-
		2,03,82,456
वित्तीय विवरण के भाग को निर्मित करता हुआ संलग्न नोट देखें	8	

हस्ताक्षर
स्निग्धा घटक
निदेशक

हस्ताक्षर
शम्भू नाथ भगत
कोषाध्यक्ष

हमारी संलग्नित समतिथि रिपोर्ट
के अनुसार

कृते ए.के.जी. एवं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन. सं. 002688एन

स्थान- दिल्ली
दिनांक – 09.02.2018

सी.ए. संजय शर्मा
सहभागी
एम.सं. 088683

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस (आई.जी.सी.)
पता: सी-।।, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062
दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के आय व व्यय का खाता

विवरण	अनुलग्नक	31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार (रू)
आय		
एफडीआर पर ब्याज		7,18,593
		7,18,593
व्यय		
बैंक प्रभार		857
भारत से वित्तीय सहायता -35वीं आई.जी.सी.	5	1,97,31,692
आऊटरीच कार्यक्रम		75006
प्रिंटिंग व डिजाईनिंग		34,227
प्रचार संबंधी व्यय – 35वीं आई.जी.सी. के दौरान	6	95,85,852
सचिवालयी प्रशासन व अवसंरचना	7	2,40,802
स्थल बुकिंग व्यय		24,00,000
		3,20,68,436
आरक्षित एवं अधिशेष खाते मे अंतरित की गई व्यय उपरांत अतिरिक्त आय		**(3,13,49,843)**

हस्ताक्षर
स्निग्धा घटक
निदेशक

हस्ताक्षर
शम्भू नाथ भगत
कोषाध्यक्ष

हमारी संलग्नित समतिथि रिपोर्ट
के अनुसार

कृते ए.के.जी. एवं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन. सं. 002688एन

स्थान- दिल्ली
दिनांक –09.02.2018

सी.ए. संजय शर्मा
सहभागी
एम.सं. 088683

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस (आई.जी.सी.)
पता: सी-।।, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062
लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

नोट 1. सोसाइटी निधि

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार (रू)
प्राप्त अनुदान	5,17,00,000
घटाएं: व्यय से अधिक आय	(3,13,49,843)
योग	**2,03,50,157**

नोट 2. वर्तमान देयताएं

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार (रू)
प्रिंसिपल सिक्योरटी एंड एलाईड सर्विसेस प्रा. लि .	31,149
सचिन अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	1,150
योग	**32,299**

नोट 3: नकद एवं बैंक जमा

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार (रू)
बैंक खाता	10,324
स्वीप एफ. डी.	2,26,00,300
चैक जारी परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया	(24,04,670)
योग	**2,02,05,954**

नोट 4. ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार (रू)
एन के सिंह को अग्रिम	6
शैलेश नायक को अग्रिम	41,004
फरीद्दुद्दीन को अग्रिम	48,056
इम्प्रेस्ट खाता	771
प्राप्य टीडीआर	71,875
योग	**1,61,712**

नोट 5: भारत से वित्तीय सहायता-35वीं आई.जी.सी.

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार (रू)
आवास संबंधी व्यय	31,60,307
यात्री सामान शुल्क	94,030
विनिमय शुल्क	11,638
पैकिंग शुल्क	40,067
प्रतिदिन भत्ता	25,13,794
पंजीकरण शुल्क	46,44,074
सूटकेस	16,270
यात्रा व्यय	92,51,512
योग	**1,97,31,692**

नोट 6 . 35वीं आई.जी.सी. में प्रचार पर व्यय

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार (रू)
सम्मेलन आयोजन पर व्यय	78,96,073
प्रचार व्यय	16,89,779
योग	**95,85,852**

नोट 8. सचिवीय प्रशासन एवं अवसंरचना

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति अनुसार (रू)
कूरियर व्यय	764
बीमा व्यय	1,520
श्रमिक व्यय	31,149
कानूनी और व्यावसायिक सेवा व्यय	2,738
स्मृति चिन्ह व उपहार	9,695
मोबाईल संबंधी व्यय	1,013
कार्यालय संबंधी व्यय	22,519
अल्प आहार	11,690
मरम्मत एवं रखरखाव	600
टेलीफोन व्यय	1,59,114
योग	**2,40,802**

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस
पता: सी-।।, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062

खातों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 11: व्याख्यात्मक जानकारी, महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस (आई.जी.सी.) पृथ्वी विज्ञान की प्रगति के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक मंच है। 1878 में फ्रांस में एकत्रित आई.जी.सी. के प्रथम सत्र का एक उद्देश्य वैश्विक भूवैज्ञानिक समुदाय को एक नियमित अंतराल पर बैठक करने के लिए एक संगठनात्मक तंत्र के निर्माण का अवसर प्रदान करना था। इसने एक ऐसे भ्रातृत्व सहयोग के भावना की परिकल्पना की, जो सीमाओं व भाषाओं के परे है तथा महाद्वीपों और महासागरों के पार भूवैज्ञानिक समुदाय को एक साथ लाने की क्षमता रखती है। एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक और शैक्षिक संगठन के रूप में वर्ष 1878 में स्थापित आई.जी.सी. वर्ष 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस (आई.यू.जी.एस.) के तत्वावधान में आया था। तब से आई.जी.सी. की बैठकें, आई.यू.जी.एस. के सहयोग और वैज्ञानिक प्रायोजन के तहत आयोजित की जाती है (http://www.iugs.org)

आई.जी.सी. की स्थापना के बाद से, 3-5 वर्षों के अंतराल पर दुनिया भर में 24 देशों द्वारा 33 काँग्रेस सत्रों की मेजबानी की गई। आई.जी.सी. का 34वां सत्र अगस्त 2012 के दौरान ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था (http://www.34igc.org) 35वीं आई.जी.सी. 2016 में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गयी थी (http://www.35igc.org) तथा 2020 में 36वीं आई.जी.सी. 02-08 मार्च 2020 के मध्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.), भारत में आयोजित किया जाना है (http://www.36igc.org)

इन वर्षों में, आई.जी.सी. यथार्थ में एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है। प्रथम आई.जी.सी. में केवल 22 देशों के 312 प्रतिभागी थे जिन्होंने 41 शोध पत्रों का योगदान दिया था। 2008 में ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित 33वें आई.जी.सी. में 113 देशों के 6260 प्रतिभागी थे। इस आई.जी.सी.में 4200 मौखिक प्रस्तुतियाँ थीं, जो जियोस्फीयर-क्रायोस्फीयर-हाइड्रॉस्फियर-एटमॉस्फियरके पूर्ण विस्तार को आच्छादित करती थीं।

भारत में 36वीं आई.जी.सी.

भारत को 1964 में नई दिल्ली में आई.जी.सी.के 22वें सत्र के आयोजन का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह एशिया का पहला आई.जी.सी. था। इस प्रकार, आई.जी.सी. 56 साल के अंतराल के बाद अर्थात मार्च 2020 में भारतीय उपमहाद्वीप में लौट रहा है। भारत ने इसके सह-मेजबान पड़ोसी देशों, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ मिलकर दिनांक 2-8 मार्च, 2020 के मध्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.), दिल्ली में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस (आई.जी.सी.) की मेजबानी करने के लिए बोली जीती थी।

36वीं आई.जी.सी., खान मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सक्रिय समर्थन एवं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों के समर्थन के साथ इस सम्मेलन के आयोजन हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक नोडल एजेंसी है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत एवं भारतीय उप-महाद्वीप के सभी भूवैज्ञानिक संगठनों, संस्थानों व भूवैज्ञानिकों के समर्थन और सहयोग की परिकल्पना करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(क) तैयारी का आधार

एएस-1, लेखा मानक के लिए आवश्यक है कि सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों के साथ उद्घाटित किया जाए। जबकि यह उपार्जन आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुशंसा करता है, हालांकि उन संस्थाओं जो निकाय नहीं हैं, के लिए यह अनिवार्य नहीं है जब तक उसे पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों को, लेखांकन नीतियों के अनुसार ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत, अर्जित आधार पर तैयार किया गया है।

(ख) राजस्व मान्यता

सोसाइटी को वर्ष के दौरान एफ.डी.आर. पर उत्पन्न ब्याज से आय हो रही है|

(ग) अनुमान का उपयोग

अनुमानों और मान्यताओं को प्रभावित करने वाली लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी वित्तीय विवरणों की तिथि को सन्निहित संपत्ति और देनदारियों की राशि, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों को प्रकट करती है। वास्तविक परिणाम अनुमान से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में वर्तमान और भविष्य में कोई भी संशोधन संभावित है। आकस्मिकता तब रिकॉर्ड की जाती है जब यह संभव है कि एक देयता होगी, और राशि का अनुमान लगाया जा सकता है।

(घ) स्थिर परिसंपत्तियाँ एवं मूल्यह्रास

स्थिर परिसंपत्ति अधिग्रहण की लागत के रूप में बताई गई है। अधिग्रहण की लागत भाड़ा, शुल्कों, करों और अन्य आकस्मिक प्रभारों सहित है। 36वीं आई.जी.सी. द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की लेखांकन नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है |

(ङ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधान को तब मान्यता दी गई जब 36वीं आई.जी.सी. के पास पुरानी घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व है, जब यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह करना होगा और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। एक संभावित दायित्व होने पर एक आकस्मिक दायित्व को मान्यता दी जाती है या एक वर्तमान दायित्व, जो कि हो सकता है लेकिन संभवतः नहीं होगा, संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

(च) स्थगित कर संपत्ति/ देयता

करों की दर और कानूनों को देखते हुए या बैलेंश शीट की तिथि के अनुसार लागू किए जाने पर विचार करने वाली दर्ज और कर योग्य लाभ के बीच कोई समय का अंतर नहीं है, अतएव कोई भी स्थगित कर संपत्ति/ देयता नहीं बनाई गई है।

(छ) लेनदारों और देनदारों के साथ संतुलन

वसूली योग्य अग्रिम एवं विविध लेनदारों के बैलेंस की पुष्टि की जानी है।

(ज) सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन

सरकारी अनुदानों का लेखांकन 'पूंजीगत दृष्टिकोण' के आधार पर किया गया है क्योंकि वे इसके कुल परिव्यय के लिए योगदान के माध्यम से दिए गये हैं एवं अनुदान से कोई पुनर्भुगतान अपेक्षित नहीं है। अतएव, अनुदान सीधे सोसाइटी निधि में जमा किया गया है।

(झ) निवेश के लिए लेखांकन

वर्तमान निवेशों के लिए वहन की राशि, लागत से कम तथा उचित मूल्य वाली है।

3. लेखा परीक्षक पारिश्रमिक

चूँकि 31 मार्च 2017 तक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक बहीखाता में नहीं दिया गया है।

विवरण	31.03.2017
लेखा परीक्षण शुल्क	रू 77,868*
उपयोगिता प्रमाणपत्र शुल्क	रू 24,780 *

*उपरोक्त शुल्क में 18% जी.एस.टी. सम्मिलित है।

4. एम.एस.एम.ई. प्रयोज्यता

चूंकि एम.एस.एम.ई. इकाइयों का पता लगाने के लिए उचित अभिलेख नहीं रखा गया है, इसलिए लेखा में कोई ब्याज नहीं घटाया गया है।

5. आकस्मिक देयताएं:

संस्था ने 15.07.2016 को सेवा कर संख्या प्राप्त की, लेकिन वर्ष के पहले छमाही के लिए कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया और दूसरी छमाही के लिए रिटर्न में शून्य दायर किया गया। सेवा कर विभाग से 18.12.2016 को मेल के माध्यम से सेवा कर रिटर्न नहीं भरने के लिए जुर्माने की मांग करते हुए एक नोटिस प्राप्त किया गया था। सेवा कर रिटर्न नहीं दाखिल करने के लिए मांग पर रू 20,000 का भुगतान करना पड़ सकता है।

6. उपभोग्य सामग्रियों की सूची

स्टेशनरी तथा उपभोग्य सामग्री को क्रय के समय ही ख़र्च के रूप में माना गया है।

कृते 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस

हस्ताक्षर स्निग्धा घटक निदेशक	हस्ताक्षर शम्भू नाथ भगत कोषाध्यक्ष	हमारी संलग्नित समतिथि रिपोर्ट के अनुसार कृते ए.के.जी. एवं एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट एफ.आर.एन. सं. 002688एन
स्थान- दिल्ली दिनांक –09.02.2018		सी.ए. संजय शर्मा सहभागी एम.सं. 088683

36वीं आईजीसी सचिवालय
सी-।।, पुष्पा भवन
मदनगीर रोड़, नई दिल्ली - 110062